फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

09-01-2014

शस्त्र अपील वाद संख्या–05/2006, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक **श्री विवेक द्विवेदी,** पिता–स्व0 गौरीनाथ द्विवेदी, सा0–श्री छोटी पटन देवी मंदिर, पटनासिटी, थाना–चौक, जिला–पटना के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–05/2006 में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के द्वारा उक्त अपील वाद में दिनांक–05.07.2006 के पारित आदेश में वाद को प्रतिप्रेषित करते हुए निदेशित किया गया है कि– "उनकी बातों पर पुनर्विचार करते हुए आवेदक को पुनः सुनकर reasoned/speaking Order पारित किया जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–09.01.2014 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ग्रह रत्न व्यवसायी हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

आवेदक के आवेदन को निष्पादित करने के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से पुनः प्रतिवेदन/मंतव्य की माँग की गयी। तदोपरान्त वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1932/गो0, दिनांक–30.12.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र की जाँच संबंधित पदाधिकारियों से करायी गयी। जाँचोपरान्त आवेदक के विरूद्ध चौक थाना कांड सं0–160/09, दिनांक–03.11.2009 धारा–341/323/504 भा0द0वि0 में आरोप पत्र सं0–160/09 समर्पित की गयी है तथा अप्राथमिकी सं0–38/09, दिनांक–07.04.2009 धारा 107 द0प्र0सं0 की कार्रवाईकी गयी है। जाँचकर्त्ता द्वारा आवेदक को अनुज्ञप्ति नहीं दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। तद्नुसार अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा ज्ञापांक–80/श0, दिनांक–25.12.2010 के माध्यम से आवेदक का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है। अतएव जाँचकर्त्ता एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक का अनुज्ञप्ति आवेदन पर बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है।" अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष, चौक के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, चौक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे ग्रह रत्न व्यवसायी हैं। आवेदक के विरूद्ध चौक थाना कांड सं0–160/09, दि0–03.11.2009 में आरोप पत्र सं0–160/09 समर्पित की गयी है तथा अप्राथमिकी सं0–38/09, दि0–07.04.2009 धारा–107 द0प्र0सं0 की कार्रवाई की गयी है। जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–09 में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को अनुज्ञप्ति देने से लोक शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। पूर्व में आवेदक के दादा के नाम एक शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त थी, उनके मुत्यु पश्चात अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अतएव थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मात्र अग्रसारित किया गया है कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे,

५ और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन, उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने से लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अतएव शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, 14, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री विवेक द्विवेदी, पिता–स्व0 गौरीनाथ द्विवेदी, सा0–श्री छोटी पटन देवी मंदिर, पटनासिटी, थाना–चौक, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।